न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 26/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभरलेक जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

जमनाराम पुत्र श्री भीवडा जाति अहीर निवासी ग्राम सांवताकाबास तहसील फुलेरा मुं0 सांभर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 14.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभर द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम सावंतकाबास तहसील फुलेरा मुं0 सांभर लेक जिला जयपुर संवत् 2011–2029 के खसरा नंबर 200 रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी सिवाय चक बिना लगानी अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 में जमनाराम पुत्र भीवडा जाति अहीर निवासी सावंतकाबास के नाम खाता संख्या 102 खसरा नम्बर 200/1 रकबा 01 बिस्वा किस्म गै0मु0 चाह दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 202 से जमनाराम पुत्र श्री भीवडा जाति अहीर निवासी सावंताकाबास को जरिये आवंटन दिनांक 24.04.1991 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमेन्ट खतौनी गै0मु0 नदी दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। जो डी:बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2057 से 2060 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा दिनांक 27.04.2006 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 द्वारा प्रकरण में आवंटन आधार स्पष्ट नही होने के कारण प्रकरण अस्वीकार कर रेफरेन्स का पुनः परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो स्पष्ट राय के साथ मय संबन्धित दस्तावेजात के नवीनतः रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को इस न्यायालय द्वारा तहरीर जारी की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सम्मानपूर्वक माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें। माननीय राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर के निर्णय अनुसार समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना है। परन्तु प्रार्थी तहसीलदार द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के नाम, पता आदि विवरण रिपोर्ट/रिकार्ड मय टिप्पणी प्रस्तुत नही की है। साथ ही रेफरेन्स में आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नही की है। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है।

अतः प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तथा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की सम्पूर्ण वल्दियत पता, आवंटन आदेश आदि के साथ नियमानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 01 माह में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 14-7-25 सरे इजलास सुनाया गया। बाद निर्णय पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर